न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरांनी प्रकरण कमांक–3571–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–10–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–439/अपील/2011–12

.....

अमृतलाल कुशवाहा पिता श्री शिवबालक कुशवाहा
निवासी–ग्राम घूमाथाना गढ़, तहसील त्योंथर,
जिला–रीवा(म0प्र0)

————————आवेदक

विरूद्ध

1– रामलखन पिता श्री रामाश्रय विश्वकर्मा

2– राजकुमारी बेवा शिवबालक कुशवाहा
निवासीगण– ग्राम घूमाथाना गढ़, तहसील त्योंथर,
जिला–रीवा(म0प्र0)

————————अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05-05-2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, परन्तु दिनांक 21.11.16 को आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क को स्वीकार करते हुये त्रुटिवश हुई अपील को निगरानी में परिवर्तित किया गया। अब इस प्रकरण का निराकरण निगरानी मानकर ही किया जा रहा है।

2/ प्रकरण का संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक अमृतलाल कुशवाहा द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त चाक तहसील त्योंथर, जिला–रीवा के रा0प्र0क्रमांक 34/अ–6/09–10 में पारित दिनांक 29.06.10 के विरूद्ध संहिता की धारा 44(1) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर, जिला–रीवा के यहां निगरांनी प्रस्तुत की गई। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 113/अ–6/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2012 को निगरांनी अस्वीकार की तथा नायब तहसीलदार का आदेश यथावत रखा। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 439/अपील/2011–12 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 14.10.14 को अपील खारिज करते हुये, अपर आयुक्त रीवा ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को यथावत रखा है। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उक्त आराजी 397/02 रकबा 2.22 एकड़ 1/6, 1/6 भाग के सहखातेदार आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 है, एवं उनके भाई एवं बहन है। पिता की मृत्यु के पश्चात् वारसान नामांतरण प्रमाणित न कर केवल माता के नाम वारसाना नामांतरण प्रमाणित कर उक्त आराजी के अंश भाग रजिस्टर्ड बिक्री करवाकर दिये, जिससे आवेदक को अपूर्तिनीय क्षति हुई है। अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक श्री पी0के0 तिवारी उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 त्योंथर, जिला–रीवा के व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 17ए/13 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2014 का भी अवलोकन किया गया । आवेदक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह तथ्य उठाये है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 397/2 रकबा 2.22 एकड़ के भूमिस्वामी शिवबालक

थे। उनके दो पुत्र एवं तीन पुत्रियां व बेवा मौजूद है। उक्त भूमि में से प्रत्येक को 1/6 हिस्सा दिया जाना चाहिये ।

6/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी नं0 397/2 रकबा 0.415 है0 अनावेदक ने पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 08.01.2010 को क्रय किया तथा विक्रेता स्वतंत्र भूमिस्वामी थे, इस कारण आवेदक को सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी । स्वत्व के संबंध में आवेदक तथा 4 अन्य द्वारा व्यवहार न्यायालय से 1/6 हिस्सा होने का वाद दायर किया गया, जिसमें आदेश दिनांक 30.04.14 द्वारा राजकुमारी के हक में तथा अनावेदक क्र0 1 रामलखन विश्वकर्मा के हक में निष्पादित विक्रय पत्र वैध पाया गया। चूँकि वादग्रस्त भूमि विक्रेता अनावेदक क्र0 2 राजकुमारी के अकेले की भूमि भी, जिस पर उसका ही मालिकाना हक था, ऐसी स्थिति में बिक्री पत्र के अनुसार क्रेता अनावेदक क्र0 1 रामलखन के नाम नामांतरण किये जाने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है और वैसे भी आवेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं थे, इसीलिये नामांतरण के दौरान उनकी सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी। यदि आवेदक चाहे तो हक एवं स्वत्व के संबंध में सक्षम व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 439/अपील/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2014 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,